Regarding discrepancy in levy of road tax on vehicles in various states-laid

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं सरकार का ध्यान जी.एस.टी. के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जा रही एक विसंगति के सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति जब वाहन खरीदता है तो वाहन कीमत पर जी.एस.टी लगाया जाता है। इसके बाद जब वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन कार्यालय जाता है तो केवल वाहन के मूल्य पर ही आर.टी.ओ. द्वारा रोड टैक्स न लगाकर वाहन के मूल्य के साथ ही जी.एस.टी तथा जो अतिरिक्त टैक्स भी हैं उन पर भी रोड टैक्स लिया जाता है। इस प्रकार का दोहरा टैक्स उत्तर प्रदेश सहित अनेक प्रदेशों में लिया जा रहा है। जबकि चंडीगढ़ सहित कुछ प्रदेशों में वाहन के मूल्य पर ही रोड टैक्स लिया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में ऐसे राज्यों को स्पष्ट निर्देश दें जिनमे इस प्रकार का दोहरा टैक्स लिया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण न हो।